

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**O.A. No. 37/2024**

**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**

**IN THE MATTER OF:**

MADHUSUDHAN CHAUHAN

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS.

.....RESPONDENT

**INDEX**

<b>SR.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>Annexure</b>	<b>PAGE</b>
1.	Joint Committee Report in the matter of Hon'ble NGT central Zone Bench, Bhopal in OA No. 37/2024 In compliance of order dated 29.02.2024		1-3
2.	Copy of Panchnama for inspection conducted on dated 23/04/2024	Annexure- 1	6
3.	Google map of the Bilawali Lake and location of developing Colony adjacent to the lake	Annexure- 2	7
4.	Approval for residential plot development from Town & Country Planning (T&CP) Indore vide letter no. INDLP-5544/19 dated 27/06/2019.	Annexure- 3	8-13
5.	Copy of Permission for development of residential plots from Indore Municipal Corporation vide letter no. 451/colony cell/2020 dated 01/07/2020.	Annexure -4	14-20
6.	Contour plan and cross sectional details of the land area with respect to Bilawali Lake approved by Water Resource Department (WRD)	Annexure- 5	21-22

7. Vakalatnama

23

Date: 26.04.2024

Submitted by MPPCB:-

Place: Bhopal



through Counsel

Adv. Parul Bhadoria

Ph. No.: (+91)-8085977111;

Email: parul.bhadoria04@gmail.com

## **Joint Committee Report**

### **Report in the Matter of OA No. 37/2024 (CZ) (Madhusudhan Chauhan V/s State of M.P. & Ors) in compliance of the order issued by Hon'ble NGT, Central Bench, Bhopal on dated 29/02/2024**

Hon'ble NGT has issued following Order in the matter of OA No. 37/2024 (CZ) (Madhusudhan Chauhan V/s State of M.P. & Ors) in compliance of the order issued by Hon'ble NGT, Central Bench, Bhopal on dated 29/02/2024 :-

1. *This letter petition has been filed by one Madhusudhan Chauhan R/o Jeet Nagar Bilawali, Ganesh Nagar, Indore with the facts that the builder is constructing residential complex in violation of environmental rules and developing the pond area by means of encroachment by the colonizer. In various judgments Hon'ble the Supreme Court and this Tribunal had directed hat water body should be protected, identified and demarcated and there shall not be any discharge of untreated water into the water body and there should not be any encroachment.*

**Hon'ble NGT has constituted a Joint Committee via aforesaid order consisting of following Officers of different departments:**

- i. One representative from District Collector, Indore(M.P.)
- ii. One representative from Madhya Pradesh Pollution Control Board

The Joint Committee has been directed to submit the factual and action taken report within six weeks.

**In compliance of aforesaid directions of the Hon'ble NGT, following Officers have been nominated from the concerned departments to visit the site and submit the report :**

1	Representative of Collector Indore	Shri Ghanshyam Dhangar, SDM, Juni Indore
2	Representative of M.P. Pollution Control Board	Shri S.N. Dwivedi, Regional Officer, Indore

**As per the directions of Hon'ble NGT, Joint Committee has visited the sites on dated 23/04/2024. Following Officers of the Joint Committee and other concern Department's Officers were present:-**

- i. Shri Ghanshyam Dhangar, SDM, Juni Indore
- ii. Shri S.N. Dwivedi Regional Officer, MPPCB Indore
- iii. Shri Nagendra Singh Bhadoriya, Building Officer, Indore Municipal Corporation (IMC)
- iv. Shri Sanjay Kumar Jain, Scientist, M.P. Pollution Control Board, Indore
- v. Shri Satyendra Singh Rajput, Sub Engineer, Indore Municipal Corporation (IMC)

It is also submitted that the Applicant Shri Madhusudhan Chauhan was also contacted on his mobile number 7225033110 as mentioned in application, but his mobile number is found out of order. Hence, inspection was conducted in absence of the Applicant.

Panchnama for inspection conducted on dated 23/04/2024 were prepared and copy of the Panchnama are enclosed as **Annexure-1**

### **1.0 Main issues raised in the Original Application:**

1. Applicant raised the concerned that builder is constructing residential complex in violation of environmental rules and developing the pond area by means of encroachment by the colonizer at near Bilawali Lake.

### **2.0 Background :**

1. Bilawali Lake is located on Indore-Khandwa Road in Indore. The total area of the lake is 185.80 hectares and falls under the jurisdiction of the Indore Municipal Corporation.
2. There are some commercial activities and road in East direction and some residential houses in South-East direction. Agriculture land in North-West and South-West direction.

### **3.0 Observations:**

1. The Joint Committee has visited the Bilawali Lake and the area where construction by Colonizer.
2. Google map of the Bilawali Lake and location of developing Colony adjacent to the lake is enclosed as **Annexure-2**.
3. The Pal (Boundary) is made on Bilawali Lake by making pathway and slope towards lake side and outer side. The pathway is fenced with iron grill at both side.
4. It is found that a area is being developed in North side of Bilawali Lake. Shri Harish Upadhyay (Developer) was present during visit at developing site.
5. Development of area seen in North direction of Bilawali Lake. Boundary wall of developing area has been made along with road inside the area. No construction of building was found during visit in the area, which can be perused in Google map (Annexure-2).
6. The details of land owner is as (1) Shri Dilip Kumar Kasliwal S/o Shri Narendra Kumar Kasliwal (2) Shri Aniruddh Kasliwal S/o Shri Dilip Kumar Kasliwal (3) Shri Aditya Kasliwal S/o Shri Dilip Kumar Kasliwal reside at 582, Kalyan Bhawan, MG Road, Indore, land located at Khasra No. 11/4, 12/4/1/1, 12/5, 12/6, 12/4/1/2, 12/7/1/K/1, 12/9, 12/10/1/1/1, 12/10/1/1/2, 12/4/Min-1, 12/4/3/1/1, 12/10/1/2/1/2, 14/3, total area 2.640 hectare. Village-Limbodi, Tehsil & District-Indore (M.P.) as per Town & Country Planning (T&CP) Department, District-Indore letter no. INDLP-5544/19 dated 27/06/2019.
7. The land is being developed by Lakshya Creation who's partners are (1) Shri Kailash Singh S/o Shri Jugraj Singh Raghuwanshi and (2) Shri Sudheer Upadhyay S/o Shri Kamta Prasad Upadhyay, address-U.G.-7, Shekhar Villa, FF-29-30, Scheme No. 54, Vijaynagar, Indore. Shri Sudheer Upadhyay, was present during inspection and signed on Panchnama made during inspection.
8. Following permissions have been obtained by the land owner/developer for development of the area :


- (1) Approval for residential plot development from Town & Country Planning (T&CP) Indore vide letter no. INDLP-5544/19 dated 27/06/2019. Copy of the letter attached as **Annexure-3**.
  - (2) Permission for development of residential plots from Indore Municipal Corporation vide letter no. 451/colony cell/2020 dated 01/07/2020. Copy of the permission letter is enclosed as **Annexure-4**.
  - (3) Contour plan and cross sectional details of the land area with respect to Bilawali Lake approved by Water Resource Department (WRD) is enclosed as **Annexure-5**.
9. During inspection measurement of distance of the land from FTL of Bilawali Lake was conducted and it has been found that distance of boundary wall of the developer's land from FTL line of the Bilawali Lake is 26.5 meter. FTL line is demarcated by the Water Resource Department (WRD). The developer has left 31 meter land from its boundary wall, thereafter plots being developed. As per the WRD sanctioned map, condition of 60 meter distance from FTL shall be maintained and no construction work shall be allowed except road, park, plantation etc. The developer has left 31 meter from boundary wall. Therefore total distance of plots from FTL of the tank is  $26.5+31=57.5$  meter. The distance of plots is less than 60 meters, hence developer should be directed to leave 2.5 meter more distance to maintain 60 meter distance from FTL. The developer has proposed to develop garden and constructed a road in above 31 meter length between boundary wall and plots.
10. Approval of map from T&CP Indore has been obtained and according to condition no. 21 of the sanctioned letter (Annexure-3) :-
- “21. विषयांकित भूमि के दक्षिण दिशा में बिलावली तालाब विद्यमान है, जिससे म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 (ख) के प्रावधानों अनुसार यदि प्रश्नाधीन भूमि जल विकास/जल स्रोत के उच्चतम जल स्रोत से 30.0 मीटर दूरी तक निर्माण किया जाना प्रतिबंधित होगा।”
- The developer has complied the above condition of T&CP and developing the plots more than 30 meters from FTL of the tank.
11. The Developer has development permission from Indore Municipal Corporation and accordingly roads and drainage system are being constructed and at present no houses have been constructed.

Information regarding the development of the Colony and compliance of conditions of permission granted by IMC was required from IMC, however IMC has not provided the information so far and since IMC is also one of the respondent, hence IMC may submit separate reply along with details and compliances.


#### 4.0 Conclusion :

1. The developer has obtained necessary approvals and permissions from T&CP, WRD & IMC. Development is being done after leaving the distance required as per T&CP permission from the Bilawali Lake.
2. Development of the lake area has not being done, hence allegation mentioned in the Application (OA) is not true.
3. Distance of plots being developed from FTL of Bilawali Lake has been found 57.5 meters as per measurement at site, which is less than 60 meter as required fulfilling the condition of WRD. WRD may be directed to verify the distance and accordingly, if required, developer should be directed to shift more 2.5 meter away from the Bilawali Lake FTL to maintain 60 meter distance.
4. As proposed by the developer the land within boundary wall left as margin to maintain 60 meters should be use for plantation/garden.

**Enclosed :** Annexure 1 to 5 & Photographs taken during inspection.




(S.N. Dwivedi)  
Regional Officer,  
MPPCB, Indore



(Ghanshyam Dhangar),  
SDM, Juni Indore,

पंचनामा


राष्ट्रीय हानि आधिकारण (सेक्टरल) के प्रचारित  
पत्रक क्र. 37/2024 मकसुदा-चौंता विद्दु मद्य  
प्रदेश आला व अन्य के परिपेक्ष में गठित दल एवं  
निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में नियोजन दिनांक  
23/04/2024 को किया गया है। प्रस्तावित ले गैरे  
पा. डी का मापन किया गया है। उपस्थित कालौपण  
की लघु उपस्थिति से ~~के~~ शिवालयों के शान्त पालकेस  
माने गये है।


  
JMC  
Satyendra Rajput

Received  
23/04/24  
SN Dwivedi  
RO MPCCB


23  
9893021701  
Arun upadhyay

23/04/24

  
23/4/24  
2:00

  
S.K. Jain  
MPCCB  
23/4/24

**Google map of the Bilawali Lake and location of developing Colony adjacent to the lake**



कार्यालय संयुक्त संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इन्दौर, (म.प्र.)

E-mail - indore@mptownplan.gov.in

क्र./  
प्रति

/INDLP-5544/19/नगानि/2019.

इन्दौर, दिनांक

उपायुक्त एवं प्रभारी अधिकारी,  
कॉलोनी सेल,  
नगर पालिक निगम, इन्दौर (म.प्र.)

**विषय** : ग्राम लिम्बोदी, तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 11/4, 12/4/1/1, 12/5, 12/6, 12/4/1/2, 12/7/1/क/1, 12/9, 12/10/1/1/1, 12/10/1/1/2, 12/4/मिन-1, 12/4/3/1/1, 12/10/1/2/1/2, 14/3 कुल रकबा 2640 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन बाबद।

**संदर्भ** : आपका पत्र क्रमांक 91/कॉ.से./S.W./19 दिनांक 16/05/2019.  
कॉलोनी का नाम :- "लेक व्यू (Lake View)"

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में आवेदक- 1. श्री दिलीप कुमार कासलीवाल पिता श्री नरेन्द्र कुमार कासलीवाल, 2. श्री अनिरुद्ध कासलीवाल पिता श्री दिलीप कुमार कासलीवाल, 3. श्री आदित्य कासलीवाल पिता श्री दिलीप कुमार कासलीवाल, निवासी -582, कल्याणभवन एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा ग्राम लिम्बोदी, तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 11/4, 12/4/1/1, 12/5, 12/6, 12/4/1/2, 12/7/1/क/1, 12/9, 12/10/1/1/1, 12/10/1/1/2, 12/4/मिन-1, 12/4/3/1/1, 12/10/1/2/1/2, 14/3 कुल रकबा 2640 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन बाबद निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन।
2. आवेदन शुल्क रुपये 15,000/- ऑनलाईन चालान क्रमांक 0217718, दिनांक 08/05/2019 एवं अनुज्ञा शुल्क ऑनलाईन चालान क्र. 02171068, दिनांक 18/06/2019 द्वारा राशि रुपये 1,66,575/- द्वारा जमा। इस प्रकार कुल रुपये 1,81,575/- जमा।
3. खसरा बी-1, पी-2 वर्ष 2018-2019 एवं ऋण पुस्तिका।
4. सीमांकन रिपोर्ट।
5. शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति पत्र।
6. अभिन्यास।

विषयांकित भूमि का आवेदक की उपस्थित में स्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें स्थल मौके पर रिक्त अवस्था में है। प्रश्नाधीन स्थल के पूर्व दिशा में स्थित विकास योजना 2021 अनुसार 75.0 मीटर चौड़े खण्डवा रोड मार्ग से पहुंच उपलब्ध है। प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना-2021 में भूमि आवासीय उपयोग एवं मार्ग हेतु विनिर्दिष्ट है।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर के पत्र क्रमांक 8875 दिनांक 22/12/2014 द्वारा प्रेषित सूची में प्रश्नाधीन भूमि सम्मिलित नहीं है। तथा वर्तमान में प्राधिकारी के पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 13/04/2017 इस कार्यालय के आवक क्रमांक 1254 दिनांक 18/04/2017 द्वारा प्राप्त। में भी अवगत कराया गया है कि, प्राधिकारी द्वारा पूर्व में प्रेषित अभिलेख/सूची के आधार पर ही निर्णय लिये जाने हेतु अवगत किया गया है।

नजूल अधिकारी, तहसील व जिला इन्दौर का पत्र क्रमांक 2054/री.नजूल/2012 इन्दौर, दिनांक 04/08/2012 द्वारा अभिमत/अनापत्ति दी है कि, ग्राम लिम्बोदी, तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 11/4, 12/4/1/1, 12/4/1/2, 12/4/पैकि, 12/5, 12/6, 12/6, 12/9, 12/10/1/1/1, 12/10/1/2, 14/3, 12/4/3/1/1 एवं 12/11/1/2 कुल रकबा 2640 हेक्टेयर भूमि के संबंध में तहसीलदार, तहसील इन्दौर के जांच प्रतिवेदन आदि के आधार पर प्रस्तावित है कि, प्रश्नाधीन भूमि में शासकीय नजूल भूमि शामिल नहीं है।

Validity unknown  
Digitally signed by SHIV KANT  
MUDGAL  
Date: 2019.06.27 21:00:39 IST

अविस्त...2

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 98/अ-2/2012-2013 में पारित आदेश दिनांक 14/01/2013 द्वारा विषयांकित भूमि ग्राम लिम्बोदी, तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 11/4, 12/4/1/1, 12/4/1/2, 12/5, 12/6, 14/3, 12/7/1/क/1, 12/9, 12/10/1/1/1, 12/10/1/1/2, 12/4/पेकि, 12/4/3/1/1, 12/10/1/2/1/2 कुल रकबा 2.640 हेक्टेयर भूमि को म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत समूह आवास के अंतर्गत मल्टीप्लेटेड इवेलिंग युनिट हेतु भू-व्यवर्तन किया गया है। आदेश में उल्लेखित शर्त क्रमांक 06(1) अनुसार-प्रश्नाधीन भूमि पर शासकीय या अन्य भूमि शामिल नहीं है।

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा) संभाग, म.प्र.पक्षे.वि.वि.क.सि. इन्दौर के पत्र क्रमांक 2957/कापाय/संस/कार्य/2010-11 इन्दौर, दिनांक 04/09/2012 अनुसार अभिमत/अनापत्ति दी है कि, ग्राम लिम्बोदी, तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 11/4, 12/4/1/1, 12/5, 12/6, 12/4/1/2, 12/7/1/क/1, 12/9, 12/10/1/1/1, 12/10/1/1/2, 12/4/मिन-1, 12/4/3/1/1, 12/10/1/2/1/2, 14/3 कुल रकबा 2.640 हेक्टेयर भूमि में एम.पी.ई.आर.सी. 2004 के गाईडलाइन अनुसार एवं आदेश के घोषणा पत्र अनुसार कुल भार 1400 कि.वॉ. संभावित है। जा कि, 2000 किलो वॉट से कम है। तदनुसार गजट नोटिफिकेशन 07/09/2009 के गाईड लाइन अनुसार उक्त अभिन्यास में विद्युत सप्लाई हेतु क्षेत्र आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त दस्तावेजों एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों, क्षतिपूर्ति पत्र एवं स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(ख) एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) एवं 2(5) के प्रावधानों के आधार पर निम्न शर्तों के अध्याधीन रहते हुए ग्राम लिम्बोदी, तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 11/4, 12/4/1/1, 12/5, 12/6, 12/4/1/2, 12/7/1/क/1, 12/9, 12/10/1/1/1, 12/10/1/1/2, 12/4/मिन-1, 12/4/3/1/1, 12/10/1/2/1/2, 14/3 कुल रकबा 2.640 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय मूखण्डीय विकास हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-
  - अ. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.
  - ब. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम 1998
  - स. अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
2. संलग्न मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे।
3. प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा में स्थित खण्डवा रोड मार्ग की चौड़ाई विकास योजना 2021 अनुसार 75.0 मीटर प्रस्तावित रखते हुए मार्ग मध्य से 37.50 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु खुली छोड़ना आवश्यक होगा। साथ ही मार्ग विस्तार हेतु खुली छोड़ी गयी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण वर्जित होगा।
4. प्रश्नाधीन भूमि पर विकसित होने वाले मूखण्डीय/भवन के विक्रय के सम्बन्धी इश्तहार प्रकारान में नगर तथा ग्राम निवेश, स्थानीय निकायो, डायवर्सन, नज़ूल अनापत्ति, अरबन लेण्ड सिलिंग से छूट, म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति सम्बन्धी आदेशों के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
5. किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
6. स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए स्वस्थ वातावरण का विकास करना अनिवार्य होगा। विद्युत, ड्रेनेज, आदि का विकास स्थानीय संस्था की देख-रेख में स्वयं कराना अनिवार्य होगा।

Validity unknown

Digitally signed by SHIV KANT

MUDGAE

Date: 2019.06.27 21:00:39 IST

आवरत...3

8/11/19  
Steno/FC/DMM/17-06-19


7. प्रश्नाधीन प्रकरण नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत है तथा नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत कॉलोनी विकास हेतु म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वहन तथा शर्त) नियम 1998 प्रभावशील है। उक्त नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त, नगर पालिका निगम है। प्रकरण में म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वहन तथा शर्त) नियम 1998 के अन्तर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुए संशोधित विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार 62 सामान्य भूखण्ड प्रस्तावित किये गये हैं। आवेदक ने उक्त नियम में दिनांक 19/04/2012 को हुए संशोधन अनुसार कमजोर आयुवर्ग हेतु 05 भूखण्ड एवं निम्न आयुवर्ग हेतु 04 भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं। जिसका विस्तृत विवरण मानचित्र पर किया गया है। कॉलोनाईजर के विकल्प को मान्य करने का अधिकार म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वहन तथा शर्त) नियम 1998 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी को है। इसकी गणना का परीक्षण स्वयं के स्तर से कर मान्य करने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। इस हेतु आवेदक से नियमों में प्राक्धानित आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करवाकर आवेदक का प्रस्ताव मान्य करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकल्प मान्य किये जाने पर ही विकास अनुमति प्रदान की जावे। यदि सक्षम प्राधिकारी विकल्प से सहमत न हो तो तदानुसार सूचित करने पर कार्यालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी के बताये अनुसार अभिन्यास में आवश्यक संशोधन मान्य किये जा कर सूचित किया जावेगा।
8. यह अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी और उसके पश्चात् यह अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी। परन्तु आवेदक द्वारा समयावधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एक-एक वर्ष) के लिये बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुमति जारी करने के पूर्व भूमि स्वामी से म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वहन तथा शर्त) नियम, 1998 के अन्तर्गत कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अथवा कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत विकासकर्ता से पंजीकृत विकास अनुबंध प्राप्त करने के पश्चात् ही विकास अनुमति जारी की जावे।
10. प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जावे एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।
11. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 01/09/2009 की अनुसूचि की कडिका 8(क) के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्गमीटर से कम जवन एव संनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8(ख) के अनुसार 50 हेक्टेयर या उससे अधिक और/या 150000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग क ज्ञापन क्रमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल, दिनांक 14, अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 के परिप्रेष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राक्धानों के दायरे में आती है तो इकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा State of Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही परियोजना से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा मवन अनुज्ञा के पूर्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे तथा निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीयरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के प्राक्धानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।

12. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल विद्युत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।
13. आपके द्वारा प्रस्तुत अक्सर/बटाकन में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी की होगी।
14. संलग्न मानचित्र में प्रस्ताहीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध न किया जाय। इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
15. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा।
16. यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा अधिमान्य उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
17. मार्ग विस्तार के अन्तर्गत आने वाली भूमि का कब्जा बिना मुआवजा के इन्दौर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/फ्लेक्टर कार्यालय अथवा मार्ग विकास की क्रियान्वयन संस्था को सौंपना होगा। इसके विरुद्ध आवेदक को म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 फुटनोट (1) अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. की प्राप्ति होगी।
18. इन अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की आवेदक भूमि व्यपवर्तन तथा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम, 1998 के अन्तर्गत अनुमतियों प्राप्त नहीं कर लेता।
19. फायनेंस एक्ट 1994 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
20. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 के प्रावधानों अनुसार विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी छोड़ने के पश्चात् निर्माण कार्य करना आवश्यक होगा।
21. विषयांकित भूमि के दक्षिण दिशा में बिलावली तालाब विद्यमान है। जिससे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) के प्रावधानों अनुसार यदि प्रस्ताहीन भूमि जल विकास/जल स्रोत के उच्चतम जल स्तर से 30.0 मीटर दूरी तक निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित होगा।
22. मार्ग एवं खुले स्थानों हेतु छोड़ी गई भूमि मू-राजस्व संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत अधिकारों का त्यजन राज्य सरकार के पक्ष में करने के पश्चात् ही तथा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण होने पर ही भूखण्ड विक्रय करने की अनुमति होगी।
23. विषयांकित भूमि पर शासन के आदेश अनुसार आवेदक द्वारा चयनित कॉलोनी का नाम "लेक व्यू (Lake View)" के आधार पर जारी की जा रही है। कॉलोनी के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन होने की दशा में धारा 29(3) के तहत संशोधन कराना आवश्यक होगा।

Validity unknown

Digitally signed by SHIV KANT MUDGAL

Date: 2019.06.27 21:00:39 IST



Suno/PC/TM/My/17-08-19

L

// 5 //

24. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होने या उपलब्ध कराई गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या इस अनुज्ञा शर्तों के उल्लंघन की दशा में यह अनुज्ञा स्वतः समाप्त होकर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंश्लिष्ट (रिक्त) कर दी जावेगी।  
संलग्न- अनुमोदित मानचित्र।

oh

संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
इन्दौर (म.प्र.)  
इन्दौर, दिनांक

पृ. क्र./  
प्रतिलिपि- /INDLP-5544/19/नवग्राम/2019.

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी भी प्रकार का याद/विवाद कलेक्टर कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावे तथा इस अनुमति आदेश के आधार पर कोई कार्यवाही न करे। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट [www.emptownplan.gov.in](http://www.emptownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवा कर, माणिकबाग पैलेस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट [www.emptownplan.gov.in](http://www.emptownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट [www.emptownplan.gov.in](http://www.emptownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. तहसीलदार, तहसील, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट [www.emptownplan.gov.in](http://www.emptownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल बोर्ड इन्दौर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट [www.emptownplan.gov.in](http://www.emptownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला पंजीयन कार्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट [www.emptownplan.gov.in](http://www.emptownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. आवेदक- 1. श्री दिलीप कुमार कासलीवाल पिता श्री नरेन्द्र कुमार कासलीवाल एवं अन्य, निवासी -582, कल्याणभवन एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) की ओर प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट [www.emptownplan.gov.in](http://www.emptownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।  
संलग्न- अनुमोदित मानचित्र।

oh

संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
इन्दौर (म.प्र.)

Validity unknown

Digitally signed by SHIV KANT MUDGAL  
Date: 2019.06.27 21:00:39 IST



Lake View

Valid up to 26/06/2022  
 APPROVED  
 As Per Conditions Given in  
 No. IN/EP/2019/544

**Joint Director**  
 Town & Country Planning  
 Indore (M.P.)

*(Signature)*  
 Joint Director

*(Signature)*  
 Joint Director



SCALE - 1:4000  
 NORTH

PROPOSED LAYOUT PLAN  
 FOR RESIDENTIAL PLOTTED DEV. ON LAND BEARING  
 K.H. NO. 11/4, 12/4/1/1, 12/4/1/2, 12/4/1/11, 12/5,  
 12/6, 12/7/1/1, 12/8, 12/10/1/1, 12/10/1/2, 12/10/1/12  
 & 14/3 AT VILLAGE LIMBODI TEH. & DIST INDORE

LAND OWNERS  
 (1) MR. AMRUDH S/O MR. DILEEP KUMAR KASIMVAL  
 (2) MR. ADITYA S/O MR. DILEEP KUMAR KASIMVAL  
 (3) MR. DILEEP KUMAR S/O MR. NARENDRA KUMAR KASIMVAL  
 ADD - 182, KALYAN BHAWAN G. ROAD, INDORE (M.P.)

AREA STATEMENT

TOTAL LAND AREA	= 2660.30 SQ.MTS.
FUTURE PLANNING AREA (A+B)	= 4190 SQ.MTS.
BALANCE LAND AREA	= 2210 SQ.MTS.
AREA UNDER ROAD	= 340 SQ.MTS.
NET PLANNING AREA	= 21870 SQ.MTS. (100%)
RESI. PLOT AREA	= 12414 SQ.MTS. (56.79%)
PARK AREA	= 2188 SQ.MTS. (10%)
EWS PLOTS AREA	= 197 SQ.MTS. (0.90%)
LIG PLOTS AREA	= 235 SQ.MTS. (1.07%)
SERVICES AREA	= 150 SQ.MTS. (0.59%)
ROAD AREA	= 6996 SQ.MTS. (30.57%)

AREA STATEMENT FOR EWS & LIG PLOTS

TOTAL NOS. OF DEV. UNITS FOR OTHER GROUP (OTHER THAN EWS & LIG)	= 62 Nos.
RESERVED UNITS FOR E.S. & L.I.G.	= 930 SAY 09
(82 X 0.15)	= 5.88 SAY 05
TOTAL RESERVED UNITS FOR E.S. & L.I.G.	= 935.88 SAY 05
E.W.S. PLOTS SIZE	= 3.85X10.80
TOTAL RESERVED UNITS FOR L.I.G.	= 3.72 SAY 04
L.I.G. PLOTS SIZE	= 6.42X10.80

ENGINEER'S SIGNATURE  
*(Signature)*  
 ENGINEER'S SIGNATURE  
 For INTERSPACE ARCHITECTS  
 PARTNER  
 PARTNER

LAND AREA STATEMENT (Survey no. wise)

S. NO.	SUR. NO.	AREA (SQ. METRE)	NAME OF OWNERS
01	114	0.121	MR. DILEEP KUMAR S/O MR. NARENDRA KUMAR KASIMVAL
02	12/4/1/1	0.617	MR. DILEEP KUMAR S/O MR. NARENDRA KUMAR KASIMVAL
03	12/4/1/1/1	0.019	MR. AMRUDH S/O MR. DILEEP KUMAR KASIMVAL
04	12/4/1/2	0.026	MR. AMRUDH S/O MR. DILEEP KUMAR KASIMVAL
05	12/4/1/11	0.270	MR. AMRUDH S/O MR. DILEEP KUMAR KASIMVAL
06	12/5	0.425	MR. DILEEP KUMAR S/O MR. NARENDRA KUMAR KASIMVAL
07	12/6	0.889	MR. DILEEP KUMAR S/O MR. NARENDRA KUMAR KASIMVAL
08	12/7/1/1	2.217	MR. DILEEP KUMAR S/O MR. NARENDRA KUMAR KASIMVAL
09	12/8	0.060	MR. DILEEP KUMAR S/O MR. NARENDRA KUMAR KASIMVAL
10	12/10/1/1/1	0.231	MR. DILEEP KUMAR S/O MR. NARENDRA KUMAR KASIMVAL
11	12/10/1/1/2	0.020	MR. DILEEP KUMAR S/O MR. NARENDRA KUMAR KASIMVAL
12	12/10/1/12	0.020	MR. DILEEP KUMAR S/O MR. NARENDRA KUMAR KASIMVAL
13	14/3	0.825	MR. DILEEP KUMAR S/O MR. NARENDRA KUMAR KASIMVAL
TOTAL	2,640		

RSI DEVELOPMENT

Validity unknown  
 Digitally signed by *(Signature)*  
 DN: c=IN, ou=INDIA, o=2019.05.27, email=2019.05.27


NORTH  
 SCALE - 1:1000



# कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर (म.प्र.)

कालोनी सेल विभाग

E-mail : colonycell@gmail.com



क्रमांक... 451 / कॉलोनी सेल / 2020  
प्रति,

दिनांक 1 JUL 2020

(1) श्री दिलीप कुमार कासलीवाल पिता श्री नरेन्द्र कुमार कासलीवाल, (2) श्री अनिरुद्ध कासलीवाल पिता श्री दिलीप कुमार कासलीवाल, (3) श्री आदित्य कासलीवाल पिता श्री दिलीप कुमार कासलीवाल, निवासी:- 582, कल्याण भवन, एम.जी. रोड़, इन्दौर (म.प्र.) तर्फे विकासकर्ता लक्ष्य क्रियेशन तर्फे भागीदारगण (1) श्री कैलाशसिंह पिता श्री जुगराजसिंह रघुवंशी, (2) श्री सुधीर पिता श्री कामताप्रसाद जी उपाध्याय, पता:- यू.जी.-7, शेखर विला, एफ.एफ.-29-30, योजना क्रमांक 54, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- ग्राम लिम्बोदी, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 11/4, 12/4/1/1, 12/5, 12/6, 12/4/1/2, 12/7/1/क/1, 12/9, 12/10/1/1/1, 12/10/1/1/2, 12/4/मिन-1, 12/4/3/1/1, 12/10/1/2/1/2, 14/3 कुल रकबा 2.640 हेक्टेयर में से नेट प्लॉनिंग एरिया 21870 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास (लेक व्यू) उपयोग की अनुमति

संदर्भ :- आपका आवेदन आवक क्रमांक 2008 दिनांक 11/12/2019 एवं पत्र आवक क्रमांक 146 दिनांक 26/06/2020 के क्रम में।

आवेदक को निम्नलिखित शासकीय विभागों से अनापत्ति/अनुमतियां प्राप्त है।

1. कार्यालय नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा म.प्र. नगर पालिका कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन तथा शर्ते नियम 1998 के प्रावधान अनुसार कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 1231/कॉलोनी सेल/2020/इन्दौर दिनांक 22/02/2020 जारी किया गया है।
2. प्रकरण में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक/आईएनडीएलपी-5544/19/नग्रानि/2019 इन्दौर दिनांक 27/06/2019 से आवासीय भूखण्डीय विकास (लेक व्यू) उपयोग हेतु अभिन्यास अनुमोदित किया गया है।
3. प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक/98/अ-2/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 14/01/2013 से किया गया है।
4. नजूल अधिकारी, जिला इन्दौर द्वारा आवेदक को जारी पत्र क्रमांक/2054/न.अ./2012 इन्दौर दिनांक 04/08/2012 से सशर्त अनापत्ति प्रदान की है, जिसमें उल्लेखानुसार प्रश्नाधीन भूमि में शासकीय नजूल की भूमि शामिल नहीं है।

5. मुख्य नगर नियोजक, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर द्वारा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर को जारी पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 3812 दिनांक 10/06/2019 एवं आवेदक को जारी पत्र क्रमांक/8317/लो.से./रूपांकन/2019 दिनांक 26/12/2019 से अभिमत दिया है, कि तदानुसार भूमि वर्तमान में प्राधिकारी द्वारा घोषित किसी योजना में समाविष्ट नहीं है।
6. आवेदक द्वारा निगम के पक्ष में शपथ पत्र क्रमांक 27890/19 दिनांक 10/12/2019 का प्रस्तुत करते हुए लेख किया है कि उक्त भूमि सिलिंग, नदी, नाले, प्राधिकारी की योजना अथवा अन्य किसी भी शासकीय भूमि में समाविष्ट नहीं है।
7. भूमि की सर्च रिपोर्ट एडवोकेट श्री जे.पी. जिरेंती, पता:- 57, प्रिन्स यशवंत रोड, गांधी भवन के सामने, इन्दौर, (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत की है, जिसमें यह लेख है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संपत्ति समस्त प्रकार के कर्ज, चार्ज, भार, प्रभार, ऋण, बंधक, आदि के बोझों से मुक्त होकर उक्त वर्णित भूमि स्वामी को "नीट क्लिन क्लियर एण्ड मार्केटेबल" टाइटल प्राप्त है।
8. भू-स्वामी (1) श्री दिलीप कुमार कासलीवाल पिता श्री नरेन्द्र कुमार कासलीवाल, (2) श्री अनिरुद्ध कासलीवाल पिता श्री दिलीप कुमार कासलीवाल, (3) श्री आदित्य कासलीवाल पिता श्री दिलीप कुमार कासलीवाल, निवासी:- 582, कल्याण भवन, एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) एवं विकासकर्ता लक्ष्य क्रियेशन तर्फे भागीदारगण (1) श्री कैलाशसिंह पिता श्री जुगराजसिंह रघुवंशी, (2) श्री सुधीर पिता श्री कामताप्रसाद जी उपाध्याय, पता:- यू.जी.-7, शेखर विला, एफ.एफ.-29-30, योजना क्रमांक 54, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.) के मध्य पंजीकृत विकास अनुबंध लेख ई-पंजीयन क्रमांक एमपी179132016ए1603954 दिनांक 28/10/2016 एवं पंजीकृत डीड ई-पंजीयन क्रमांक एमपी179132019ए1831617 दिनांक 10/12/2019 की प्रति प्रस्तुत किया है।
9. भू-स्वामी के प्रमाण स्वरूप विक्रय पत्र की प्रतियां एवं भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका तथा खसरा बी-I एवं पी-II की प्रति प्रस्तुत की है। तदानुसार भूमि आवेदक के नाम दर्ज है, जिसकी प्रति संलग्न हैं।
10. सिंगल डोर की बैठक दिनांक 20/12/2019 में प्राप्त अभिमत/अनापत्ति को दृष्टिगत रखते हुए विकास अनुमति जारी करने की अनुशंसा की गई है।

**आवेदक द्वारा निम्नलिखित शुल्क जमा किये गये हैं।**

1. आवेदक द्वारा कॉलोनी विकास अनुमति के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन करते हुए आवेदन शुल्क आर.टी.जी.एस. दिनांक 12/12/2019 से राशि रुपये 6,67,000/- (अक्षरी रुपये छः लाख सुनसठ हजार) कोटक महिन्द्रा बैंक, शाखा:- 580, एम.जी. रोड, इन्दौर के खाता क्रमांक 6311543328 में जमा किये गये है।
2. सुपरविजन चार्जस की राशि रूपयें 3,73,238/- (अक्षरी रुपये तीन लाख त्रियोत्तर हजार दो सौ अड़तीस) आर.टी.जी.एस. दिनांक 26/06/2020 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक, शाखा:- 580, एम.जी. रोड, इन्दौर के खाता क्रमांक 6311543328 में जमा।

3. ओव्हरहेड टैंक/सम्पवेल/प्रेसर पम्प का निर्माण आपको स्वयं अपने व्यय से करना होगा।
4. कर्मकार कल्याण उपकर की राशि रूपयें 1,86,619/- (अक्षरी रूपये एक लाख छियासी हजार छः सौ उन्नीस) नेफ्ट दिनांक 26/06/2020 से सचिव म.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, इन्दौर के संबंधित खाता क्रमांक 04960100009000 में जमा।
5. नर्मदा केपीटल रिनिवल शुल्क की राशि रूपयें 13,82,230/- (अक्षरी रूपये तेरह लाख बयासी हजार दो सौ तीस) आर.टी.जी.एस. दिनांक 09/03/2020 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक, शाखा:- 580, एम.जी. रोड़, इन्दौर के खाता क्रमांक 6011551340 में जमा।
6. मध्यप्रदेश नगर पालिक कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्ते नियम 1998 संशोधन विधेयक 19 अप्रैल 2012 के नियम 10 अनुसार आश्रय शुल्क की राशि रूपये 15,51,750/- (अक्षरी रूपये पंद्रह लाख इक्कावन हजार सात सौ पचास) आर.टी.जी.एस. दिनांक 09/03/2020 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक, शाखा:- एम.जी. रोड़, इन्दौर के निगम खाता क्रमांक 6711196179 में जमा।
7. बाह्य विकास शुल्क की राशि रूपये 10,93,500/- (अक्षरी रूपये दस लाख त्रियानवें हजार पांच सौ) आर.टी.जी.एस. दिनांक 09/03/2020 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक, शाखा:- एम.जी. रोड़, इन्दौर के खाता क्रमांक 6311543328 में जमा।
8. संपत्तिकर जमा के संबंध में प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी मुख्यालय, (राजस्व) नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्र क्रमांक 12345 दिनांक 25/06/2020 की प्रति एवं किसी भी जमीन का संपत्तिकर बकाया नहीं, के संबंध में शपथ पत्र क्रमांक 6666/2020 दिनांक 29/06/2020 की प्रति प्रस्तुत की है।

उपरोक्त राशि जमा की गई होने से तथा संबंधित शासकीय विभागों से अनापत्ति एवं स्वीकृति प्राप्त होने से एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अभिन्यास अनुमोदित होने से ग्राम लिम्बोदी, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 11/4, 12/4/1/1, 12/5, 12/6, 12/4/1/2, 12/7/1/क/1, 12/9, 12/10/1/1/1, 12/10/1/1/2, 12/4/मिन-1, 12/4/3/1/1, 12/10/1/2/1/2, 14/3 कुल रकबा 2.640 हेक्टेयर में से नेट प्लॉनिंग एरिया 21870 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास (लेक व्यू) उपयोग हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 और उसके अन्तर्गत निर्मित म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 के अधीन तथा सिंगल डोर प्रणाली की बैठक दिनांक 20/12/2019 को बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार निम्न शर्तों के अधीन विकास अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. निगम के पक्ष में धरोहर के रूप में रखे गये भूखण्ड वाले स्थान पर सूचना बोर्ड लगाना होगा, तथा उस पर भूखण्ड नगर निगम में धरोहर है, तथा उनका क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता है, यह उल्लेख करना आवश्यक है।


2. मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त व्यपवर्तन आदेश की समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
3. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
4. भूखण्डों का विक्रय पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर करना होगा।
5. आवेदक के भू-स्वामित्व के संबंध में यदि कोई वाद माननीय न्यायालय अथवा अन्य किसी शासकीय विभाग में प्रचलित वाद पर यदि कोई निर्णय आवेदक के विरुद्ध पारित होता है, तो ऐसी स्थिति में जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी एवं पारित निर्णय का पालन आवेदक को करना होगा।
6. आवेदक द्वारा कॉलोनी के विकास के कुल भूखण्डीय क्षेत्रफल के पेटे विकास लागत के 125 प्रतिशत के मान से अभिन्यास में लाल रंग से अंकित सदर स्थल के भूखण्ड क्रमांक 17 क्षेत्रफल 163.80 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 18 क्षेत्रफल 163.80 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 19 क्षेत्रफल 163.80 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 45 क्षेत्रफल 109.12 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 52 क्षेत्रफल 221.98, भूखण्ड क्रमांक 53 क्षेत्रफल 207.38, भूखण्ड क्रमांक 57 क्षेत्रफल 183.62, भूखण्ड क्रमांक 61 क्षेत्रफल 244.52, इस प्रकार कुल 08 भूखण्ड, जिनका कुल क्षेत्रफल 1458.02 वर्गमीटर (जिसका मूल्य राशि रूपये 2,33,28,320/-) है, जो विकास कार्य पूर्ण होने तक ई-पंजीयन क्रमांक एमपी179132020ए1264110 दिनांक 08/06/2020 से धरोहर के रूप में रखे गये है। कॉलोनाईजर द्वारा उपरोक्त धरोहर रखे गये भूखण्डों का न तो इनका विक्रय किया जावेगा और ना ही उनकी रजिस्ट्री की जावेगी। निगम के मतानुसार विकास कार्य अपूर्ण रहने पर उक्त भूखण्ड राजसात किये जाने का अधिकार निगम को होगा।
7. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास पत्र क्रमांक/आईएनडीएलपी-5544/19/नग्रानि/2019 इन्दौर दिनांक 27/06/2019 के अनुसार आवेदक को चयनित विकल्प अनुसार समाज के कमजोर आय वर्ग हेतु 05 भूखण्ड एवं निम्न आय वर्ग हेतु 04 भूखण्ड आरक्षित रखना होगा एवं जिनका आवंटन नियमों के प्रावधान अनुसार करना होगा। तदुपरांत ही धरोहर भूखण्ड मुक्त किये जा सकेंगे।
8. आवेदक द्वारा विकास के पूर्व इन्दौर विकास प्राधिकारी की विद्यमान अथवा प्रस्तावित योजना के प्रस्तावों एवं अभिन्यास में दर्शित आस-पास के विद्यमान विकास से समन्वय आवश्यक होगा।
9. शुल्को की गणना के अंतर की स्थिति में नियमानुसार अंतर की राशि जमा कराने का दायित्व आवेदक का होगा।
10. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास पत्र क्रमांक/आईएनडीएलपी-5544/19/नग्रानि/2019 इन्दौर दिनांक 27/06/2019 में दर्शित अनुसार सडकों की चौड़ाई रखना होगी, एवं उद्यान हेतु आरक्षित भूमि 2188 स्क्वेयर मीटर भूमि पर उद्यान विकास कार्य पूर्ण करना होगा।

11. रोड सेट बैक हेतु आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने पाये यह सुनिश्चित करना होगा।
12. उपरोक्त कॉलोनी में विद्युत पोल पर लाईट फिटिंग लगानी होगी। लाईट फिटिंग नहीं लगाने की दशा में 3,000/- रुपये प्रति पोल के मान से ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा:- स्कीम नंबर 54, देवास रोड़, इन्दौर (म.प्र.) की राशि रुपये 60,000/- (अक्षरी रुपये साहठ हजार) की एफ.डी.आर. क्रमांक 2344051 (कस्टमर आई.डी. 38119612) दिनांक 16/06/2020 की प्रस्तुत की है, जो विद्युत पोलो पर फिटिंग लगाने के उपरांत ही मुक्त होगी।
13. आवेदक द्वारा निगम के पक्ष में शपथ पत्र क्रमांक 6666/2020 दिनांक 29/06/2020 प्रस्तुत करते हुए शहर की चार दिशाओं में प्रस्तावित मुख्य मार्गों से संलग्न 500-500 मीटर की चौड़ाई तक में यदि उक्त कॉलोनी/मल्टी आती है, तो नगर पालिक निगम, इन्दौर को बेटरमेन्ट टैक्स देने की सहमति प्रदान की गई है, तदानुसार नगर पालिक निगम, इन्दौर की परिषद प्रस्ताव क्रमांक 14 दिनांक 03/10/2019 में उल्लेखित मार्गों से प्रश्नाधीन स्थल संलग्न होने पर बेटरमेन्ट टैक्स की राशि आवेदक को अनिवार्यतः जमा कराना होगी।
14. उपरोक्त कॉलोनी में वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी। सार्वजनिक उद्यान में जहां वर्षा के समय पानी इकट्ठा होना है, वहां वॉटर रिचार्जिंग का पिट बनवाना होगा।
15. कॉलोनी के पास स्थित नर्मदा की मुख्य लाईन से कनेक्शन लेने हेतु कॉलोनाइजर को नियमानुसार पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी, एवं स्वयं के व्यय से उक्त लाईन को जोड़ना होगा।
16. पर्यावरण विभाग/प्रदूषण मण्डल का प्रमाण पत्र आवेदक को पृथक से प्राप्त करना होगा। (आवश्यक होने की स्थिति में।)
17. प्रस्ताव अनुसार सेप्टिक टैंक/एस.टी.पी./कचरा घर/ऐमीनिटीस/ट्रांसफार्मर इत्यादि का नियमानुसार निर्माण करना होगा।
18. प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कोई वाद अथवा शिकायत किसी शासकीय विभाग में लंबित होने पर समस्त जवाबदारी आवेदक की होगी।
19. अभिन्यास में सदर स्थल के पहुंच मार्ग एवं अन्य आवश्यक प्रावधानों का विस्तृत प्रारूप प्रस्तुत करना होगा एवं पहुंच मार्गों का निर्माण करना होगा।
20. कॉलोनी के रूढिगत पानी की निकासी की व्यवस्था आवेदक को करना होगी।
21. सदर स्थल पर आने-जाने वाले रास्तों पर अतिक्रमण न हो व उक्त रास्ते बंद न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी।
22. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में रिकार्ड अनुसार शासकीय, नजूल, अतिशेष घोषित भूमि व प्रचलित रास्ते व पानी निकासी के स्रोत पर अतिक्रमण न हो यह सुनिश्चित करना होगा।
23. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में अंकित समस्त शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा।
24. भूमि के संबंध में एवं अद्योसंरचना के संबंध में कोई वाद आदि उत्पन्न होने पर इसकी समस्त जवाबदारी आवेदक की होगी।

25. प्रकरण में प्रावधान अनुसार अन्य शुल्को के अतिरिक्त बाह्य विकास शुल्क के रूप में राशि रूपये 10,93,500/- (अक्षरी रूपये दस लाख त्रियानवें हजार पांच सौ) जमा कराये गये है। लेकिन ड्रेनेज संयोजन के समय झोन की ड्रेनेज व्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति अनुसार मानक के आधार पर प्रावधान अनुसार ड्रेनेज संयोजन के आवश्यक शुल्क जमा कराते हुये संयोजन की पृथक से स्वीकृति प्राप्त करना होगी।
26. भूमि विकास नियम 2012 के अंतर्गत नियमों का पालन करना होगा।
27. भू-संपदा विनियामक अधिनियम 2016 (रेरा एक्ट) के तहत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
28. प्रावधानों के तहत सदर स्थल पर वृक्षारोपण एवं उसका रख-रखाव सुनिश्चित हो।
29. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नजूल, इन्दौर विकास प्राधिकरण एवं अन्य समस्त शासकीय विभागों द्वारा दी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा किसी भी विभाग की आपत्ति आने पर जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
30. उक्त स्वीकृति प्रस्तुत स्वामित्व के दस्तावेज के आधार पर जारी की जा रही है जो किसी प्रकार के स्वामित्व सिद्ध करने हेतु सहायक नहीं होगा और ना ही किसी कानूनी कार्यवाही हेतु सहायक होगा। नगर निगम इन्दौर अन्य कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।
31. स्थल पर कॉलोनी के विकास तथा निर्माण संबंधी कार्य के लिये नियुक्त श्रमिकों के लिये न्यूनतम आवश्यक सुविधायें जैसे पीने का पानी, आश्रय, शौचालय आदि का प्रबंध करना अनिवार्य होगा। तदुपरांत ही स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ किये जावे।
32. स्थल पर विकास कार्य संलग्न अनुमोदित प्राक्कलन (Estimate) अनुसार हो यह सुनिश्चित करे। किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में पृथक से सूचित कर उसका अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
33. कॉलोनी की विकास अनुमति जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर विकास कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा परन्तु यदि कॉलोनी के विकास कार्य में कोई कमी या कमियाँ पाई जाती है, तो ऐसी कमियों को दूर करने के लिये उक्त समय सीमा में अधिकतम एक वर्ष तक की वृद्धि की जा सकेगी।
34. प्रकरण में किसी अन्य विभाग की स्वीकृति आवश्यक होने पर पृथक से आवेदक को प्राप्त करना होगी।

आपके द्वारा दी गई जानकारी एवं मालकी दस्तावेजों में छुपाये गये तथ्यों के उजागर होने पर एवं भूमि स्वामित्व/सीमा संबंधी किसी प्रकार के विवाद या किसी विभाग की आपत्ति आने पर तथा उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में दी गई विकास की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

(नस्ती पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)


  
उपायुक्त  
कॉलोनी सेल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक : ..... / कॉलोनी सेल / 2020  
प्रतिलिपि :-

दिनांक : .....


1. सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, पता:- रेरा भवन, अरेरा हिल, मेनरोड़ नंबर 1, भोपाल - 462011 की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवाकर, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. सक्षम प्राधिकारी, नगर तथा भूमि सीमा कार्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग:- जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. अपर आयुक्त कॉलोनी सेल, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. अपर आयुक्त राजस्व, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदुषण कन्ट्रोल बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय स्कीम नंबर 78, पार्ट-1, अरण्य, विजय नगर, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मुख्य नगर निवेशक, भवन अनुज्ञा शाखा मुख्यालय, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
11. कार्यपालन यंत्री, जल प्रदाय, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
12. उप-पंजीयक, क्षेत्र क्रमांक 02, पंजीयन कार्यालय, साऊथ तुकोगंज, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. उपायुक्त, राजस्व, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. भवन अधिकारी, झोन क्रमांक 13, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. झोनल अधिकारी, झोन क्रमांक 13, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।


उपायुक्त  
कॉलोनी सेल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



PROPOSED DETAIL OF CONTOUR PLAN & CROSS SECTIONAL DETAILS AT EDGE OF PLAN BEARING KHASRA NO. 12/4/3/1/1, 12/10/1/2/1/2, 11/4, 12/4/1/1, 12/4/1/2, 12/5, 12/6, 14/3, 12/7/1K/1, 12/9, 12/10/1/1/1, 12/10/1/1/2, 12/4/1 PEKI AT VILLAGE LIMBODI TEH. & DIST. INDORE

S.NO	NAME OF OWNER	KHASRA NO	AREA IN HECT.
1	ANIRUDH/ADITYA S/O DILIP KASLIWAL	12/4/3/1/1	0.270
		12/10/1/2/1/2	0.020
2	DILIP KUMAR S/O NAREDR KUMAR KASLIWAL	11/4	0.121
3		12/4/1/1	0.517
4		12/4/1/2	0.026
5		12/5	0.425
6		12/6	0.069
7		14/3	0.635
8		12/7/1K/1	0.247
9		12/9	0.040
10		12/10/1/1/1	0.231
11		12/10/1/1/2	0.020
12		12/4/1PEKI	0.019
TOTAL			2.640 HECT.

  
 Engineer  
 P.W.D. Indore (M. P.)  
 15/10/12



SCALE - 1:750

*Singh Kumar*

OWNER SING.

## Photographs taken during inspection

in the Matter of OA No. 37/2024 (CZ) (Madhusudhan Chauhan V/s State of M.P. & Ors)



Inspection by Committee Members



View of Developing Colony Near Bilawali Lake



View of developing Colony from Pal of Bilawali Lake

View of Boundary Wall of Colony, Pal of Bilawali Lake and Grill

**VAKALATNAMA**  
[Rule 4(1) of the Rules framed under Advocates Act, 1961]  
**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**O.A. No. 37/2024**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**

**IN THE MATTER OF:**

**MADHUSUDHAN CHAUHAN**

**...APPLICANT**

**Versus**


**STATE OF MP & ORS**

**...RESPONDENTS**



I/We/Appellant/Claimant/Petitioner or Defendant/Respondent/Non-Applicant named below do hereby appoint, engage, and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead as aforesaid case proceedings which shall include application for restoration, setting aside of ex- party orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this court or any other court in which the same may be tried/ heard/proceeded and also in appellate. Revisional and executing court in respect of proceedings arising from this case/ proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, applications, affidavit or other documents as may be deemed necessary for the proper prosecution/defence of the case in all its stages and also agree to ratify and confirm act done by him/them as if done by me.

In witness whereof i/we do hereunto set my/our hand to the presents, the contents of which have been duly understood by me /us this **26th April 2024**.

PARTICULARS OF EACH PARTY EXECUTING VAKALATNAMA

Name & Fathers Name	Registered Address	E-Mail Add & Telephone (If any)	Status in case	Signature
<b>S.N. Dwivedi, Regional Officer, MPPCB Regional Office Bhopal.</b>	78/C, Part 2, Viaynagar, Indore, 452010	Romppcb_indore @rediffmail.com	Officer-in- Charge	 <b>Regional Officer</b> Madhya Pradesh Pollution Control Board Indore

Accepted

Name & Enrollment. No.	Address (If any) E-Mail Add.	Telephone (If any)	Full Signature
PARUL BHADORIA 1587-2012	parul.bhadoria04@gmail.com	8085977111	
PRANJAL PANDEY MP 2881-2021	advocatepranjalpandey@gmail.com	9340657120	
SHIVAM DWIVEDI MP 3857-2023	advshivamdwwivedi20@gmail.com	8878471359	